

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 1819/2025

Ramjilal S/o Harchanda, R/o Khawarani. Tehsil Jamwaramgarh,
District Jaipur, Rajasthan.

----Appellant

Versus

1. Dharamveer S/o Kajod, Aged About 30 Years, R/o Village Gumanpura, Tehsil Tunga, District Jaipur, Rajasthan.
2. Smt. Bachchi Devi W/o Shri Ramkunwar, R/o Gumanpura, Tehsil Tunga, District Jaipur, Rajasthan
3. Sub-Registrar, Tunga, Jaipur, Rajasthan.

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Arvind Kumar Singh, Adv. Mr. Vikas Jakhar, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Nirmal Kumar Nagar (Gurjar), Adv. Mr. Hardev Puri Goswami, Adv. Mr. Rajesh Kumar Parashar, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

24/02/2026

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 29.03.2025 के आदेश के माध्यम से अपीलार्थी के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार किया, जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का निवेदन है कि विपक्षी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है, अतः ऐसी स्थिति में निर्धारित अवधि में अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन निस्तारित किये जाने का निर्देश दिया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया कि वे इस अपील को चलाना नहीं चाहते हैं तथा वापिस लेना चाहते हैं।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की प्रार्थना स्वीकार की जाती है तथा यह अपील इस स्टेज पर वापिस लिए जाने से निस्तारित की जाती है।

विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वे अपीलार्थी द्वारा इस आदेश की प्रति पेश किये जाने की दिनांक से **दो माह** में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण का दोनों पक्षों को सुनकर नियमानुसार निस्तारण करे।

स्थगन एवं अन्य कोई प्रार्थना-पत्र यदि लम्बित हों तो वे भी उक्तानुसार निस्तारित किए जाते हैं।

(UMA SHANKER VYAS),J